न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 04/2019

अनवान :–

श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर(राजस्थान)

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री ओमप्रकाश बिश्नोई पुत्र गोकुलराम बिश्नोई (विक्रेता) मैसर्स बिश्नोई भुजिया उद्योग, एच–95, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, नोखा एक्सटेंशन नोखा जिला बीकानेर
2. श्रीमती रामेश्वरी पत्नी श्री गोकुलराम भाम्भु(मालिक) मैसर्स बिश्नोई भुजिया उद्योग, एच–95, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, नोखा एक्सटेंशन नोखा जिला बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली खादय सुरक्षा अधिकारी

2– अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से – अप्रार्थीगण स्वयं

–: निर्णय :– दिनांक 30.10.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 01.03.2019 को अप्रार्थीपक्ष श्री ओमप्रकाश बिश्नोई पुत्र गोकुलराम बिश्नोई (विक्रेता) मैसर्स– मैसर्स बिश्नोई भुजिया उद्योग, एच–95, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, नोखा एक्सटेंशन नोखा के यहां दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में रखी कुल 30 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक 400 ग्राम स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) पैकेटो में से 4 पैकेट प्रत्येक 400 ग्राम स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) नमूना हेतु संग्रह कर उनके द्वारा बताये अनुसार रूपये 168/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर कोड एवं क्रमांक जे–1555 लिखा व अन्य विवरण अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं प्रार्थी ने किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना थैली पर गौंद से चिपकाया व नियमानुसार चपड़ी से सील मोहर किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, गवाहों एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे विक्रेता व गवाहों ने पढ़कर, सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये । उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS.628/Act/ 2019/471 दिनांक 19.03.2019 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) अनसेफ व मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। तदन्तर अप्रार्थी के निवेदन पर खाद्य पदार्थ स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल)की स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पूना से पुनः जांच करवाई गई जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 06.06.2019 की जांच में सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) का विकय कर खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 व धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 व धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में खाद्य पदार्थ स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) अनसेफ व मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। तदन्तर अप्रार्थी के निवेदन पर खाद्य पदार्थ स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल)की स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पूना से पुनः जांच करवाई गई जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 06.06.2019 की जांच में सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड स्तर का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 व धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की फर्म मैसर्स बिश्नोई भुजिया उद्योग, एन–95 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया नोखा में है। जिसमें भुजिया नमकीन (गोकुल) पोली पैक्ड 400 ग्राम सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड स्तर का विक्रय किया जाने पर नोटिस दिया गया है। अप्रार्थीगण ने उक्त कार्य अभी ही शुरू किया है नया काम है कोई भी गलती हुई जिसमें आइन्दा भूल सुधार कर ली जावेगी। उक्त सामान में कोई मिलावट नहीं की जाती है। भूलवश कोई कार्य हुआ है तो उक्त गलती को सुधार कर ही भुजिया विक्रय किया जायेगा। आईन्दा गलती का कोई मौका नहीं देगें। अतः प्रार्थी को माफ किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां खाद्य पदार्थ स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) के लिये गये नमूनें में से प्रथम नमूना नियमानुसार जांच हेतु भेजा गया है जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 19.03.2019 के अनुसार जांच परिणाम के अनुसार अनसेफ एवं सबस्टेण्डर्ड फूड पाया गया है। यह जांच रिपोर्ट आने के पश्चात एफएसएस एक्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ही स्टेट द्वारा अप्रार्थीपक्ष को अवगत करवाया गया है। इस पर अप्रार्थी पक्ष द्वारा पुनः जांच का आवेदन किया जाकर नियमानुसार शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात् द्वितीय नमूना पुनः जांच हेतु भिजवाया गया। जिसकी रिपोर्ट 06.06.2019 प्राप्त हुई जिसकी जांच परिणाम अनुसार खाद्य पदार्थ स्पेशल

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

भुजिया नमकीन (गोकुल) सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी का यह कथन किसी भी दृष्टिकोण से मान्य नहीं है क्योकिं प्रथम जांच परिणाम के अनुसार अनसेफ एवं मिसब्राण्ड फूड होना पाया गया है जबकि स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पूना से पुनः जांच करवाई गई जांच में लिये गये नमूने पदार्थ में सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पाया गया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये खाद्य पदार्थ स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) की सैम्पलिंग की दोबारा जांच करवाई जा चुकी है और दोनों ही रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया खाद्य पदार्थ स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) एफएसएसए के अनुरूप नहीं पाया गया है। पत्रावली में डायरेक्टर, रेफरेल फूड लेबोरेटी, पुणे के यहां से भी जांच करवाई गई जिसकी रिपोर्ट क्रमांक CFL/DO-271/19/543/2019 दिनांक 06.06.2019 के अनुसार इस प्रकार है:–

(A) The sample Special Bhajia Namkeen(Gokal Brand) poly pack 400 gram bearing No. J-1555, does not conform to the standard of Proprietary Food, as per Regulation No. 2.12.1& Food Category System No. 15.1 of the Food Safety and Standards(Food Products Standards & Food Additives) Regulations, 2011 and further amendments, on the basis of tests performed, Hence Sub-standard as per section3(1)(xz) of Food Safety & Standard Act 2006.

(B) It also contravenes Regualtion No. 2.2(2.2.1) under Food Safety and Standard(Prohibition& Restriction on Sales) Regulations.2011 and further amendments.

(C) But it contravenes Regulation no. 2.2.2(3),2.2.2(8),&2.2.1.7 of Food safety and Standards (Packaging & Labeling) Reguations, 2011 and further amendments. It is Misbranded as per Section 3(1)(zf)(c)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006. जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां पाया गया खाद्य पदार्थ स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) सबस्टेण्डर्ड एंव मिसब्राण्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का खाद्य पदार्थ स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है इन दोनों ही जांचों से वरवक्त निरीक्षण मिला खाद्य पदार्थ स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) मानव उपयोग के लिये हानिकारक है, जो की एफएसएस की धारा 26(2)ii के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

6. लिहाजा अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ स्पेशल भुजिया नमकीन (गोकुल) सबस्टेण्डर्ड एंव मिसब्राण्ड विकय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंधन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी सं. 1 व 2 के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रूपये 50,000/– अखरे **पचास हजार रूपये** की शास्ति आरोपित करते है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 समान रूप से आरोपित शास्ति राशि का 1/2 शास्ति राशि यानि 25,000/–, 25,000/– रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 भरने हेतु दायी होगा।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

7. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगण को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर एवं अप्रार्थीपक्ष को जरिये रजिस्टर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा.),बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर